



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03052021-226821
CG-DL-E-03052021-226821

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1602]
No. 1602]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 3, 2021/ वैशाख 13, 1943
NEW DELHI, MONDAY, MAY 3, 2021/ VAISAKHA 13, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2021

का.आ. 1729(अ).—यतः, मै. मॉडर्न एसेट (फेज-II), जो कर्नाटक राज्य के सर्वे संख्या 2/2, गाँव वेंकटाला येलाहांका हुबली, बेंगलुरु में आई.टी./आई.टी.ई.एस. विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1032(अ) दिनांक 31 मार्च, 2017 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 3.22 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यतः, मै. मॉडर्न एसेट (फेज-II) ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 3.22 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, कर्नाटक सरकार ने उनके पत्र सं. सीआई 356 एसपीआई 2020(ई) दिनांक 12.04.2021 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यतः, विकास आयुक्त कोचीन, एसईजेड ने विशेष आर्थिक जोन के 3.22 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

अतः अब केन्द्र सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यो या किए जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद्द करती है।

[फा. सं. एफ.1/4/2017-एसईजेड]

एस. किशोर, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2021

S.O. 1729(E).—Whereas, M/s. Modern Asset (Phase-II) had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for IT/ITES at Survey No. 2/2, Venkata Village, Yelahanka Hobli, Bengaluru, in the State of Karnataka;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, notified an area of 3.22 hectares vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O.1032(E) dated 31st March, 2017;

AND, WHEREAS, M/s. Modern Asset (Phase-II) has now proposed to de-notify entire area of 3.22 hectares of the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Karnataka has given its No Objection to the proposal vide letter No. CI 356 SPI 2020 (E) dated 12.04.2021;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Cochin, Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of entire area of 3.22 Hectares of the Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F.1/4/2017-SEZ]

S. KISHORE, Addl. Secy.